9445/24 नाना v/s श्रीलाल

7/5/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया, प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 दण्डप्रक्रिया सं. दण्डनीय अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निगरानी मेरे दखलात सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

7/5/26